कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकः आर–150/जे0डी0/लखनऊ–13(गौतम) 1230 दिनांकःजुलाई 5 ,2013

सेवा मे,

मुख्य वास्तुविद नियोजक
नोएडा प्राधिकरण सेक्टर–6
गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स लोजिक्स सिटी डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–02 सेक्टर–143, नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निमार्ण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांकः 22–06–2013 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 02–07–2013 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को उपलब्ध करायी गयी तथा उपनिदेशक फा0स0 द्वारा अभिलेखो का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

प्लाट एरिया–1,00,080.98 वर्ग मी0 जिसमे प्रस्तावित ब्लाक का विवरण निम्नवत हैः–

कमांक	नाम टावर/ ब्लाक	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	स्टेयर की संख्या एवं चौडाई मी मे	अधिकतम अधिभोग तल तक ऊँचाई मी0 मे
1	टावर–1	भूतल एवं 34 तल	892.608	2–1.5	132.5
2	टावर–2	भूतल एवं 36 तल	651.48	2–1.5	139.54
3	टावर–3	भूतल एवं 34 तल	892.608	2–1.5	132.5
4	ब्लाक–1	भूतल एवं 26 तल	600.555	2–1.5	80.84
5	ब्लाक–2	भूतल एवं 25 तल	309.00	2–1.5	77.86
6	ब्लाक–3ए0	भूतल एवं 20 तल	236.065	2–1.5	59.95
7	ब्लाक–3बी0	भूतल एवं 20 तल	236.065	2–1.5	59.95
8	ब्लाक–3सी	भूतल एवं 20 तल	236.065	2–1.5	59.95
9	ब्लाक–4ए0	भूतल एवं 20 तल	260.145	2–1.5	59.95
10	ब्लाक–4बी0	भूतल एवं 20 तल	260.145	2–1.5	59.95
11	ब्लाक–5ए0	भूतल एवं 20 तल	305.754	2–1.5	59.95
12	ब्लाक–5बी0	भूतल एवं 20 तल	305.754	2–1.5	59.95
13	टावर–ए	भूतल एवं 18 तल	638.704	2–1.5	55.90
14	टावर–बी	भूतल एवं 18 तल	638.704	2–1.5	55.90
15	टावर–सी	भूतल एवं 18 तल	638.704	2–1.5	55.90
16	टावर–डी	भूतल एवं 18 तल	638.704	2–1.5	55.90
17	टावर–ई0	भूतल एवं 17 तल	638.704	2–1.5	53.00
18	टावर–एफ	भूतल एवं 17 तल	638.704	2–1.5	53.00
19	टावर–1 पार्ट–2	भूतल एवं 12 तल	879.79	2–1.5 एवं 1.2	38.45

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ॰प्र॰, लखनऊ

20	टावर–2 पार्ट–2	भूतल एवं 12 तल	879.79	2–1.5 एवं 1.2	38.45
21	टावर–2 पार्ट–2	भूतल एवं 12 तल	879.79	2–1.5 एवं 1.2	38.45
22	टावर–3 पार्ट–2	भूतल एवं 12 तल	879.79	2–1.5 एवं 1.2	38.45
23	टावर–4 पार्ट–2	भूतल एवं 12 तल	879.79	2–1.5 एवं 1.2	38.45
24	टावर–5 पार्ट–2	भूतल एवं 12 तल	879.79	2–1.5 एवं 1.2	38.45
25	टावर–6 पार्ट–2	भूतल एवं 12 तल	879.79	2–1.5 एवं 1.2	38.45
26	टावर–7 पार्ट–2	भूतल एवं 12 तल	879.79	2–1.5 एवं 1.2	38.45
27	कामर्शियल	भूतल एवं 02	692.00	2–1.5	10.00

बेसमेन्ट– प्रश्नगत प्रस्तावित भवन मे 02 बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमे बेसमेन्ट–प्रथम का एरिया–93,044.80 वर्ग मी0 एवं द्वितीय बेसमेन्ट का एरिया–1,0555.36 वर्ग मी0 है जिसका प्रयोग पार्किंग हेतु प्रस्तावित है।

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1– पहुच मार्गः–भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड़ की चौडाई 75 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार पर्याप्त है जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2– सैटबेकः– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–16.00 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–12.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–12.00 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–12.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3– भवन समूहो के मध्य दूरीः– प्रस्तावित भवन समूहो के मध्य दूरी अग्निशमन वाहनों हेतु पर्याप्त है। भवन विनियमावली के अनुसार न्यूतम वॉच्छनीय दूरी के सम्बन्ध मे प्राधिकरण अपने स्तर से परीक्षण कर निर्णय लिये जाने पर विचार करें।

3–निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर मे 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौडाई तालिका मे अंकित की गयी है।

4– रिफ्यूज एरियाः– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगतः–प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पसः–भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–टेरिस टैंकः–प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–होजरीलः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक ब्लाक मे प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–डाउनकामरः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक ब्लाक मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–यार्ड हाईड्रेन्टसः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेन्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

8–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–स्मोक एक्स्ट्रेंक्शनः– प्रश्नगत भवन मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय

14–पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15–हैलीपेडः– प्रश्नगत भवन मे हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0–10 के अनुपालन मे वॉच्छनीय है।

16–प्रशिक्षित स्टॉफः– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

17–वैकल्पिक विद्युत व्यवस्थाः– प्रश्नगत भवन मे उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

18–कम्पार्टमेन्टेशनः– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

भवनों के अतिरिक्त परिसर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाः–प्रश्नगत परिसर हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक पृथक से नुसार वॉच्छनीय है एवं भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार भवनों के पम्प के अतिरिक्त स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स लोजिक्स सिटी डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–02 सेक्टर–143, नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र   अदद।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्या0
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–मैसर्स लोजिक्स सिटी डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–02 सेक्टर–143, नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।